न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 50/2026 (Bank Case)

GCMS NO. – 2026/100

बैंक ऑफ बडौदा ब्रांच कार्यालय– महावीर नगर, कोटा (राज.) में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी संदीप सिंह।

– प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स आर.के रोड लाईन्स प्रोप. राजकुमार यादव पुत्र श्री बनवारी लाल यादव –(ऋणी / फर्म)

   पता– पेट्रोल पंप के सामने, बायपास रोड, बूंदी (राज.)
   अन्य पता– प्लोट नं0 बी–42 प्रथम, छावनी इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा

2. राजकुमार यादव पुत्र श्री बनवारी लाल यादव प्रोप0 मैसर्स आर.के रोड लाईन्स (प्रोपराईटर)

   पता– 2 सी 3, विकास नगर, बूंदी (राज.) 323001
   अन्य पता– माकन नम्बर जी–509, वी.के.आई., रोड नम्बर 9, जयपुर

3. श्री विजय कुमार जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन (गारन्टर)

   पता– आर.के. पुरम कॉलोनी, सिलोर रोड, बूंदी (राज.) 323001

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 20.05.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बडौदा ब्रांच कार्यालय– महावीर नगर, कोटा (राज.) में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थी ने दिनांक 30.10.2023 को ऋण रूपये 40,00,000/– (अक्षरेः रूपये चालीस लाख मात्र) एवं दिनांक 15.11.2023 को ऋण रूपये 40,00,000/– (अक्षरेः रूपये चालीस लाख मात्र) इस प्रकार कुल ऋण रूपये 80,00,000/– (अक्षरेः रूपये अस्सी लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अप्रार्थी संख्या 1 की चल सम्पत्ति हाईपोथिकेशन ऑफ वाहन, वाहन नम्बर RJ 14 GR 4729, चेचिस नम्बर MAT777035P1H22390, इंजन नम्बर B67B62250D06132G64313566, मॉडल नम्बर TATA LPT 3525BS-6 है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 08.10.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के ऋण खाते मे रूपये 55,02,733.96/– (अक्षरे पचपन लाख दो हजार सात सौ तैतीस रूपये एवं छियानवें पैसे मात्र) दिनांक 11.10.2025 तक बकाया रकम शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 14.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को सुना गया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 14.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधक **अप्रार्थी संख्या 1 की चल सम्पत्ति हाईपोथिकेशन ऑफ वाहन, वाहन नम्बर RJ 14 GR 4729, चेचिस नम्बर MAT777035P1H22390, इंजन नम्बर B67B62250D06132G64313566, मॉडल नम्बर TATA LPT 3525BS-6** है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो ।

आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)